हिमाचल प्रदेश सरकार

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 / 18 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 सितम्बर, 2019

संख्याः 1–58 / 69–फिन(एल0ए0)पार्ट. 5981.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियन्त्रक वर्ग–1

(राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–(प) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(पप) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.–(प) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1–58 / 69–फिन(एल0ए0)पार्ट तारीख 16–3–2009 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, वर्ग–1 सेवा संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियन्त्रक, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(पप) ऐसे निरसन के होते हुए उपरोक्त उप–नियम 2 (प) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

उपाबन्ध–"क"

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग–1 (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—संयुक्त निदेशक / संयुक्त नियन्त्रक (स्थानीय लेखा परीक्षा)

2. **पदों की संख्या.**—04 (चार)

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग–1 (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.**—पे बैण्ड ₹ 15600–39100 + ₹ 7800 ग्रेड पे

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—चयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—लागू नहीं

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं.**— लागू नहीं

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.**—*आयु* : लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—लागू नहीं

10. भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) और सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में संयुक्त रूप में चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी , दोनों के न होने पर उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा), सहायक निदेशक/सहायक नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) और अनुभाग अधिकारी (स्थानीय लेखा) में संयुक्त रूप में 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 10 वर्ष का सेवाकाल हो, जिसमें से उप निदेशक/उप नियन्त्रक (स्थानीय लेखा) के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुये गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल के (तदर्थ) आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियें की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाऐंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आमर्ड फोर्शिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज़)रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा , इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी

[Authoritative English text of this Notification No.1-58/69-Fin (LA) part, dated 29-9-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2019

No. 1-58/69-Fin (LA) part-5981.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) in the Local Audit Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.—(i) The Himachal Pradesh Local Audit Department, Class-I Service (Joint Director/Joint Controller) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified *vide* this Department Notification No. 1-58/69-fin(LA) dated 16-03-2009 as amended from time to time are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(i) *supra*, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) in the Local Audit Department, Himachal Pradesh

1. **Name of the Post.**—Joint Director/Joint Controller (LAD)

2. **Number of posts.**—04 (Four)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)

4. **Scale of pay.**—Pay band ₹ 15600-39100+ ₹ 7800 Grade Pay

5. **Whether "selection" post or "non-selection" post.**—Selection

6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable

7. **Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—Not applicable.

8. **Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).**—*Age*: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable

9. **Period of probation, if any.**—Not applicable

10. **Method(s) of Recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.**—100% by promotion.

11. **In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade for which promotion/ secondment/ transfer is to be made.**—By promotion from amongst the Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) having three years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) having four years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered if any, combined as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) and Assistant Director/Assistant Controller (Local Audit) out of which two years service as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit) shall be essential, failing both by promotion from amongst the Deputy Director /Deputy Controller (Local Audit) possessing 10 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, rendered if any, combined as Deputy Director/Deputy Controller (Local Audit), Assistant Director/Assistant Controller (Local Audit), Section Officer (Local Audit), which shall also include essential service of two years as Deputy Director/ Deputy Controller (Local Audit).

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointments/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selections for appointment to post by direct recruitment—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 02 सितम्बर, 2019

संख्या यू0डी0–ए(3)–5 / 2012–वोल–I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के साथ पठित धारा 305 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हें, उक्त अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के यदि इन प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आक्षेप है / हैं तो वह उसे / उन्हें इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई है / हों, पर इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी / सचिव (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, उपाबन्ध–I के स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबन्ध" से, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सेवा के प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपाबन्ध–'II' में नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है;

(घ) "निदेशक" से, निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ङ) "सीधी भर्ती" से, प्रोन्नति / स्थानान्तरण / सैकेण्डमैंट से भिन्न, चयन द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "नगरपालिका" से–

(i) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद् अभिप्रेत है; और